284

संख्या–539/X–2–2017–12(30)2012

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 **देहरादून दिनांक 22 मार्च 2017**

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–27 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर की योजना "जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान–माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति" हेतु प्रथम अनुपूरक मांग द्वारा स्वीकृत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड के पत्र सं0 नि0–1249/3–5 दिनांक 03.01.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान सं0–27 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष मे राज्य सैक्टर की योजना **"जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान–माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति"** हेतु स्वीकृत आय–व्ययक की पूर्व आवंटित धनराशि ₹400.00 लाख के अतिरिक्त वर्तमान में प्रथम अनुपूरक मांग द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹100.00 लाख (₹एक करोड़ मात्र) अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016 दि. 26.07.2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
2. आवंटित धनराशि का व्यय "मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2012" के प्राविधानुसार ही किया जायेगा।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
5. धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

.....2

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत प्रथम अनुपूरक अनुदान के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 2406–वानिकी तथा वन्य जीवन, 01–वानिकी, 800–अन्य व्यय, 09–जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान–माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति के मानक मद 20–सहायक/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0– S1703270340 दिनांक 22.03.2017 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0संख्या–152(P)/XXVII(4)/2016 दिनांक 22 मार्च 2017 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या–539/X–2–2017–12(30)2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **539/X-2-2017-12(30)2012**

अलोटमेंट आई डी - **S1703270340**

अनुदान संख्या - **027**

आवंटन पत्र दिनांक -22-Mar-2017

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

800 - अन्य व्यय

09 - जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल नुकसान पर क्षति पूर्ति

00 - जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल नुकसान पर क्षति पूर्ति

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	40000000	10000000	50000000
	40000000	**10000000**	**50000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 10000000